आजमगढ़ विकास प्राधिकरण

जनपद- आजमगढ़

कलेक्ट्रेट परिसर, जनपद- आजमगढ़

उ0प्र0 भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण,

राज्य नियोजन संस्थान, (नवीन भवन)
कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ–226007

पत्रांकः 5117/यू0पी0–रेरा/ /2018–19 दिनांकः 12 नवम्बर 2018

सेवा में,

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
2. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।

विषयः– **भू–सम्पदा (नियमन एवं विकास) अधिनियम 2016 की धारा–32 के प्राविधानों के अनुसार रियल इस्टेट परियोजनाओं तथा प्रोमोटर्स की ग्रेडिंग हेतु परामर्शदाता के चयन हेतु टी0ओ0आर0 के निर्धारण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

भू–सम्पदा (नियमन एवं विकास) अधिनियम 2016 की धारा–32(f) में यह व्यवस्था है कि की भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण स्वस्थ, पारदर्शी, कुशल तथा प्रतिस्पर्धी भू–सम्पदा सेक्टर की वृद्धि तथा संवर्धन को सुगम बनाने के क्रम में राज्य सरकार को प्रवर्तकों के श्रेणीकरण सहित विकास के विभिन्न कसौटियों के आधार पर परियोजनाओं के श्रेणीकरण को प्रोत्साहित करने के उपायों के सम्बन्ध में सिफारिश करेगा।

उपर्युक्त कार्यों के सम्पादन हेतु उ0प्र0 रेरा में परामर्शदाता के चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। परामर्शदाता के चयन हेतु RFP का मसौदा तैयार किया जा रहा है। परामर्शदाता के चयन हेतु प्रस्तावित टी0ओ0आर0/स्कोप आफ वर्क का विवरण संलग्न है।

इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह अनुरोध करने के निर्देश हुए हैं कि कृपया कान्सलटेन्ट के लिए प्रस्तावित टी0ओ0आर0 पर विकास प्राधिकरण का अभिमत उ0प्र0 रेरा को ई0मेल आई0डी0 contactuprera@gmail.com पर यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

12/11/18

(अबरार अहमद)
सचिव

महत्वपूर्ण / सर्वोच्च प्राथमिकता
संख्या–1674/आठ–4–2018–55एन/2007

प्रेषक,

संजीव सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश (लखनऊ को छोड़कर)।

2. उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांक : 02 नवम्बर 2018

विषयः नजूल भूमि पर अवैध निर्माण/कब्जाधारकों के सम्बन्ध में सूचना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में प्रवर्ती शासनादेश संख्या–1566/आठ–4–11–137एन/04 दिनांक 28.09.2011 के क्रम में नजूल भूमि पर अवैध निर्माण/कब्जाधारकों की सूचना निर्धारित प्रारूपानुसार सर्वोच्च प्राथमिकता पर शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:–

क्र.सं.	नजूल भूमि के अवैध कब्जेधारकों का नाम	भाटा संख्या	नजूल भूखण्ड का क्षेत्रफल	अवैध कब्जेधारकों द्वारा कब से कब्जा किया गया है	नजूल भूखण्ड रिक्त है अथवा निर्माण हुआ है, यदि निर्माण हुआ है तो कितने क्षेत्रफल पर	नजूल भूखण्ड का कुल मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
	कुल योग					

भवदीय,

(संजीव सिंह)
विशेष सचिव

उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण,

6, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग, लालबाग, लखनऊ।

संख्या 2327/रेरा–वेबसाइट/2018–19 दिनांक: 06 जुलाई, 2018

कार्यालय–आदेश

उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के कार्यालय–आदेश संख्या 840/रेरा–वेबसाइट/2018–19 दिनांक: 07 मई, 2018 द्वारा यू.पी. रेरा के वेब पोर्टल पर परियोजनाओं के रजिस्ट्रेशन एवं पूर्व में पंजीकृत परियोजनाओं की एडिटिंग आदि के लिए व्यवस्था निर्धारित की गई है। इसके अन्तर्गत, दिनांक 07 मई, 2018 तक पंजीकृत समस्त ऑन–गोईंग परियोजनाओं तथा नवीन परियोजनाओं एवं सम्बन्धित प्रोमोटर्स के पंजीयन विवरण एवं डिटेल्स की अपडेटिंग एडिट फैसिलिटी का उपयोग करते हुए किया जाना अनिवार्य है। एडिट फैसिलिटी का उपयोग करने के लिए दिनांक 06.06.2018 तक पंजीयन शुल्क का 10 प्रतिशत तथा दिनांक 07.06.2018 से दिनांक 06.07.2018 तक पंजीयन शुल्क के 20 प्रतिशत धनराशि एडिटिंग फीस निर्धारित की गई है।

विभिन्न प्रोमोटर्स एवं क्रेडाई के प्रतिनिधियों द्वारा पंजीकृत परियोजनाओं के विवरण/डिटेल्स अपडेट/पूर्ण करने हेतु कुछ समय प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। अतः उ.प्र. भू–संम्पदा विनियामक प्राधिकरण के स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त पूर्व पंजीकृत परियोजनाओं के विवरण/डिटेल्स अपडेट/पूर्ण करने हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार अन्तिम अवसर प्रदान किया जाता है:–

(1) प्रोमोटर द्वारा प्रश्नगत परियोजना के रजिस्ट्रेशन शुल्क की 20 प्रतिशत धनराशि एडिटिंग शुल्क के रूप में दिनांक 20.07.2018 तक जमा की जा सकेगी।

(2) निर्धारित एडिटिंग शुल्क जमा करने के पश्चात् दिनांक 31.07.2018 तक परियोजना विवरण एडिट किये जा सकेंगे।

प्रोमोटर्स तथा प्रोजेक्ट्स के विवरण एडिट/अपडेट करने की सुविधा में अब आगे कोई समय विस्तार नहीं प्रदान किया जायेगा।

कार्यालय–आदेश संख्या 840/रेरा–वेबसाइट/2018–19 दिनांक 07 मई, 2018 में निर्धारित अन्य समस्त व्यवस्थाएं यथावत् रहेंगी।

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अध्यक्ष रेरा

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, उ.प्र. शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

.....2

4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यमुना एक्सप्रेस–वे अथॉरिटी।
5. आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ. प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम।
7. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
8. नगर आयुक्त, समस्त नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
9. रेरा में पंजीकृत समस्त प्रोमोटर्स को पँजीकृत ई–मेल आईडी के द्वारा अनुपालनार्थ।
10. अध्यक्ष तथा महामन्त्री, क्रेडाई, उ.प्र.।
11. सहायक निदेशक (सिस्टम्स) रेरा को रेरा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

6/7/18

(अबरार अहमद)
सचिव रेरा

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3
संख्या : 1558/8–3–18–65 विविध/16 टी.सी.
लखनऊ : दिनॉक : 22 सितम्बर, 2018

:: अधिसूचना ::

भू–सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम–2016 की धारा–46 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत उ0प्र0 भू–सम्पदा अपील अधीकरण के अध्यक्ष पद पर श्री तरूण अग्रवाल पुत्र श्री सतीश चन्द्रा, निवासी–8/ए नया मार्ग इलाहाबाद–211001 को नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव।

संख्या : 1558(1)/8–3–18–65 विविध/16 टी.सी./तद्दिनांक
प्रतिलिपि :– संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनांक 22.09.2018 के असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–ख में प्रकाशित कराते हुए 5–5 प्रति सम्बन्धित विभागों तथा 100 प्रतियां आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

राजेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या : 1558(2)/8–3–18–65 विविध/16 टी.सी./तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0, लखनऊ।
3. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
4. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद।
5. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
6. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0, शासन लखनऊ।
7. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
8. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
9. समस्त जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, उ0प्र0।
10. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0/आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
11. सचिव, उ0प्र0 भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (RERA) लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया आदेश की प्रति रेरा वेबसाइट पर भी अपलोड करने का कष्ट करें।
12. सचिव, उ0प्र0 राज्य परिवहन अपील अधिकरण लखनऊ।
13. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, समस्त औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
14. श्री तरूण अग्रवाल पुत्र श्री सतीश चन्द्रा, निवासी–8/ए नया मार्ग इलाहाबाद–211001
15. गार्ड फाइल।
16. निदेशक, आवास बन्धु, को इस आशय से प्रेषित कि आदेश की प्रति आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण,

6, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग, लालबाग, लखनऊ।

संख्या 3233/रेरा–वेबसाइट/2018–19 दिनांक: 01 अगस्त, 2018

कार्यालय–आदेश

उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के कार्यालय–आदेश संख्या 840/रेरा–वेबसाइट/2018–19 दिनांक: 07 मई, 2018 द्वारा यू.पी. रेरा के वेब पोर्टल पर परियोजनाओं के रजिस्ट्रेशन एवं पूर्व में पंजीकृत परियोजनाओं की एडिटिंग आदि के लिए व्यवस्था निर्धारित की गई है। इसके अन्तर्गत दिनांक 07 मई, 2018 तक पंजीकृत समस्त ऑन–गोईग परियोजनाओं तथा नवीन परियोजनाओं एवं सम्बन्धित प्रोमोटर्स के पंजीयन विवरण एवं डिटेल्स की अपडेटिंग एडिट फैसिलिटी का उपयोग करते हुए किया जाना अनिवार्य है। एडिट फैसिलिटी का उपयोग करने के लिए दिनांक 06.06.2018 तक पंजीयन शुल्क का 10 प्रतिशत तथा दिनांक 07.06.2018 से दिनांक 06.07.2018 तक पंजीयन शुल्क के 20 प्रतिशत धनराशि एडिटिंग फीस निर्धारित की गई थी।

रेरा के उपरोक्त कार्यालय आदेश दिनांक: 07 मई, 2018 को आदेश दिनांक 06.07.2018 द्वारा इस सीमा तक संशोधित किया गया है कि दिनांक 20.07.2018 तक एडिटिंग शुल्क जमा करायी जा सकेगी एवं प्रोमोटर्स अपनी परियोजनाओं के विवरण दिनांक 31.07.2018 तक अपडेट/एडिट कर सकेंगे।

विभिन्न प्रोमोटर्स, जिनमें दिनांक 20.07.2018 तक एडिटिंग फीस जमा कर चुके प्रोमोटर्स भी सम्मिलित हैं, द्वारा पंजीकृत परियोजनाओं के विवरण/डिटेल्स अपडेट/पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समय प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

अतः उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त पूर्व पंजीकृत परियोजनाओं के विवरण/डिटेल्स अपडेट/पूर्ण करने हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार अन्तिम अवसर प्रदान किया जाता है:–

(1) ऐसे प्रोमोटर्स जिन्होंने दिनांक 20.07.2018 तक एडिट शुल्क जमा कर दिया है, उन्हें दिनांक 21.08.2018 तक अपने परियोजनाओं के विवरण एडिट करने का अवसर प्रदान किया जाता है।

(2) जिन प्रोमोटर्स द्वारा निर्धारित अवधि में एडिटिंग शुल्क जमा करके परियोजनाओं के विवरण तथा डाक्यूमेन्ट अपलोड करने की कार्यवाही नहीं की गई, उनके द्वारा एडिटिंग/अपडेटिंग के लिए अनुरोध किये जाने पर पूर्व निर्धारित एडिटिंग शुल्क परियोजना रजिस्ट्रेशन फीस का 20 प्रतिशत के साथ उसी के बराबर अर्थात् 20 प्रतिशत पेनाल्टी के साथ एडिटिंग/अपडेटिंग की सुविधा अनुमन्य की जा सकती है। इस सुविधा के अन्तर्गत दिनांक 31.08.2018 तक एडिटिंग शुल्क एवं पेनाल्टी जमा कर के दिनांक 15.09.2018 तक परियोजनाओं के विवरणों की एडिटिंग/अपडेटिंग पूर्ण की जायेगी।

----2

कार्यालय–आदेश संख्या 840 / रेरा–वेबसाइट / 2018–19 दिनांक 07.05.2018

में निर्धारित अन्य समस्त व्यवस्थाएं यथावत् रहेंगी।

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अध्यक्ष रेरा

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, उ.प्र. शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा / ग्रेटर नोएडा / यमुना एक्सप्रेस–वे अथॉरिटी।
5. आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ. प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम।
7. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
8. नगर आयुक्त, समस्त नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
9. रेरा में पंजीकृत समस्त प्रोमोटर्स को पँजीकृत ई–मेल आईडी के द्वारा अनुपालनार्थ।
10. अध्यक्ष तथा महामन्त्री, केडाई, उ.प्र.।
11. सहायक निदेशक (सिस्टम्स) रेरा को रेरा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(अबरार अहमद)
सचिव रेरा

उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण,

6, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग, लालबाग, लखनऊ।

संख्या 2327/रेरा–वेबसाइट/2018–19 दिनांकः 06 जुलाई, 2018

कार्यालय–आदेश

उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के कार्यालय–आदेश संख्या 840/रेरा–वेबसाइट/2018–19 दिनांकः 07 मई, 2018 द्वारा यू.पी. रेरा के वेब पोर्टल पर परियोजनाओं के रजिस्ट्रेशन एवं पूर्व में पंजीकृत परियोजनाओं की एडिटिंग आदि के लिए व्यवस्था निर्धारित की गई है। इसके अन्तर्गत दिनांक 07 मई, 2018 तक पंजीकृत समस्त ऑन–गोईग परियोजनाओं तथा नवीन परियोजनाओं एवं सम्बन्धित प्रोमोटर्स के पंजीयन विवरण एवं डिटेल्स की अपडेटिंग एडिट फैसिलिटी का उपयोग करते हुए किया जाना अनिवार्य है। एडिट फैसिलिटी का उपयोग करने के लिए दिनांक 06.06.2018 तक पंजीयन शुल्क का 10 प्रतिशत तथा दिनांक 07.06.2018 से दिनांक 06.07.2018 तक पंजीयन शुंल्क के 20 प्रतिशत धनराशि एडिटिंग फीस निर्धारित की गई है।

विभिन्न प्रोमोटर्स एवं केडाई के प्रतिनिधियों द्वारा पंजीकृत परियोजनाओं के विवरण/डिटेल्स अपडेट/पूर्ण करने हेतु कुछ समय प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। अतः उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त पूर्व पंजीकृत परियोजनाओं के विवरण/डिटेल्स अपडेट/पूर्ण करने हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार अन्तिम अवसर प्रदान किया जाता हैः–

(1) प्रोमोटर द्वारा प्रश्नगत परियोजना के रजिस्ट्रेशन शुल्क की 20 प्रतिशत धनराशि एडिटिंग शुल्क के रूप में दिनांक 20.07.2018 तक जमा की जा सकेगी।

(2) निर्धारित एडिटिंग शुल्क जमा करने के पश्चात् दिनांक 31.07.2018 तक परियोजना विवंरण एडिट किये जा सकेंगे।

प्रोमोटर्स तथा प्रोजेक्ट्स के विवरण एडिट/अपडेट करने की सुविधा में अब आगे कोई समय विस्तार नहीं प्रदान किया जायेगा।

कार्यालय–आदेश संख्या 840/रेरा–वेबसाइट/2018–19 दिनांक 07 मई, 2018 में निर्धारित अन्य समस्त व्यवस्थाएं यथावत् रहेंगी।

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अध्यक्ष रेरा

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, उ.प्र. शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

.....2

4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यमुना एक्सप्रेस–वे अथॉरिटी।
5. आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ. प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम।
7. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
8. नगर आयुक्त, समस्त नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
9. रेरा में पंजीकृत समस्त प्रोमोटर्स को पँजीकृत ई–मेल आईडी के द्वारा अनुपालनार्थ।
10. अध्यक्ष तथा महामन्त्री, क्रेडाई, उ.प्र.।
11. सहायक निदेशक (सिस्टम्स) रेरा को रेरा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(अबरार अहमद)
सचिव रेरा

उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

6, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग, लालबाग, लखनऊ।

संख्या 1125/यू.पी.रेरा/ कार्यालय–ज्ञाप (टी.ए.)/2018–19 दिनांक: 15 जून, 2018

कार्यालय–आदेश

उ. प्र. भू–सम्पदा (विनियामक एवं विकास) प्राधिकरण के कार्यालय–ज्ञाप संख्याः 799/यू.पी. रेरा/कार्यालय–ज्ञाप (टी.ए.)/2018–19 दिनांक 25 अप्रैल, 2018 द्वारा भू–सम्पदा (नियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–4 (2)(l) (d) में की गई व्यवस्था के अनुसार संप्रवर्तक द्वारा धनराशि आहरण करने हेतु इन्जीनियर, वास्तुविद तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के प्रमाण–पत्रों के प्रारूप निर्धारित करते हुए रेरा की वेबसाइट पर अपलोड किये गये हैं।

2. उपरोक्तानुसार अपलोड किये गये चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, इन्जीनियर एवं आर्कीटेक्ट के प्रमाण–पत्रों के प्रारूपों में सुधार/संशोधन करने का अनुरोध रेरा को प्राप्त हुए है, जिन पर सम्यक् विचारोपरान्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एवं इन्जीनियर के प्रमाण–पत्रों के प्रारूपो में आवश्यक संशोधन करते हुए इन्हें पुनः निर्धारित किया गया है। निर्धारित संशोधित प्रारूप रेरा की वेबसाइट www.up-rera.in पर उपलब्ध है।

3. अतः भू–सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2016 के प्राविधानों के अनुसार सम्बन्धित परियोजना के लिए निर्धारित खातों से धनराशि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, इन्जीनियर एवं वास्तुविद द्वारा सत्यापन किये जाने के पश्चात् ही सम्पन्न किये गये कार्यों की प्रतिशतता के अनुरूप धनराशि आहरित किया जाना सुनिश्चित किया जाये। यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार संप्रवर्तक के लिए पृथक–पृथक परियोजना के लिए अलग–अलग बैंक खाते खोलना अनिवार्य है।

संलग्नकः संशोधित सी.ए. एवं इन्जीनियर के प्रमाण–पत्रों के प्रारूप।

(अबरार अहमद)
सचिव, रेरा,

संख्या एवं दिनॉकः तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. औद्योगिक विकास आयुक्त/प्रमुख सचिव, अवस्थापना, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उत्तर प्रदेश शासन।
3. महानिदेशक, संस्थागत वित्त को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त कार्यालय–ज्ञाप के अनुपालन हेतु प्रदेश में कार्यरत समस्त बैंकों को अपने स्तर से निर्देश प्रसारित कराने का कष्ट करें।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्स–प्रेस–वे।
7. प्रबन्ध निदेशक उ.प्र. इस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन उत्तर प्रदेश।
8. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
10. अध्यक्ष एवं महामंत्री, केडाई, उत्तर प्रदेश।
11. सहायक निदेशक (सिस्टम) रेरा को रेरा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

15/6/18

(अबरार अहमद)
सचिव, रेरा

संशोधित आदेश

भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश

6, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग, लालबाग, लखनऊ

संख्याः 448 /रेरा/शक्ति प्रतिनिधायन /2017–18, दिनांकः29 जनवरी 2018

कार्यालय आदेश

उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के कार्यालय आदेश संख्या–368/रेरा/शिकायत/2017–18 दिनांक 03.01.2018 द्वारा उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु विभिन्न अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित प्राधिकरणों/बोर्डों/मण्डलों से सम्बन्धित शिकायतों के निस्तारण हेतु प्राधिकृत किया गया है। अग्रतर उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण में प्राप्त शिकायतों की सुनवाई हेतु उपाध्यक्ष गोरखपुर विकास प्राधिकरण, उपाध्यक्ष उन्नाव–शुक्लागंज विकास प्राधिकरण तथा अपर आवास आयुक्त (श्री महेन्द्र कुमार) उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद को भी नामित किया जाता है।

2. उक्त उल्लिखित आदेश दिनांक 03.01.2018 में आंशिक संशोधन करते हुए मैं, मुकुल सिंहल, अध्यक्ष रेरा/अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित प्राधिकरणों/ बोर्डों/मण्डलों से सम्बन्धित शिकायतों को अधिनियम तथा नियमावली तथा समय–समय पर जारी कार्यकारी आदेशों के अन्तर्गत निस्तारण हेतु प्राधिकृत करता हूँ:–

क.सं.	नामित अधिकारी	प्राधिकरण/बोर्ड/मण्डल
1	सचिव भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (R.E.R.A.)	नोएडा/ग्रेटर नोएडा से सम्बन्धित शिकायतें, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद तथा समस्त सक्षम प्राधिकारियों (Competent Authority) के विरूद्ध प्राप्त शिकायतें।
2	अपर आवास आयुक्त (श्री महेन्द्र कुमार) उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित समस्त शिकायतें।
3	उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	सहारनपुर, मुरादाबाद मण्डल से प्राप्त समस्त शिकायतें तथा जनपद गौतम बुद्ध नगर की ऐसी शिकायतें जो आवंटित की जायेगी।
4	उपाध्यक्ष, हापुड–पिलखुवा विकास प्राधिकरण	जनपद गौतम बुद्ध नगर की ऐसी शिकायतें जो आवंटित की जायेगी।
5	उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण	आगरा मण्डल से प्राप्त समस्त शिकायतें तथा जनपद गौतम बुद्ध नगर की ऐसी शिकायतें जो आवंटित की जायेगी।
6	उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण	अलीगढ़ तथा मेरठ मण्डल से प्राप्त समस्त शिकायतें तथा जनपद गौतम बुद्ध नगर की ऐसी शिकायतें जो आवंटित की जायेगी।
7	उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण	बरेली मण्डल से प्राप्त समस्त शिकायतें तथा जनपद गौतम बुद्ध नगर की ऐसी शिकायतें जो आवंटित की जायेगी।
8	उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण	जनपद गौतम बुद्ध नगर की ऐसी शिकायतें जो आवंटित की जायेगी।
9	उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण	इलाहाबाद, झांसी तथा चित्रकूट मण्डल से प्राप्त समस्त शिकायतें।
10	उपाध्यक्ष, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण	कानपुर, वाराणसी तथा फैजाबाद मण्डल से प्राप्त समस्त शिकायतें।

11	उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण	आजमगढ़, गोरखपुर तथा मिर्जापुर मण्डल से प्राप्त समस्त शिकायतें।
12	उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण	बस्ती एवं देवीपाटन मण्डल से सम्बन्धित समस्त शिकायतें।
13	उपाध्यक्ष, उन्नाव–शुक्लागंज विकास प्राधिकरण	लखनऊ मण्डल से सम्बन्धित एवं उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद से सम्बन्धित समस्त शिकायतें

3. जनपद गौतम बुद्ध नगर स्थित नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ऐसी शिकायतें जो सचिव रेरा को आवंटित हैं एवं जिनकी प्रथम सुनवाई की तिथि 15.01.2018 के बाद नियत है, की सुनवाई उपाध्यक्ष गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, मुरादाबाद, बरेली एवं हापुड–पिलखुवा विकास प्राधिकरण द्वारा की जायेगी। इन अधिकारियों को शिकायतों का आवंटन सिस्टम द्वारा यथा–सम्भव समान संख्या में किया जायेगा।

4. उपाध्यक्ष, उन्नाव–शुक्लागंज विकास प्राधिकरण को आवंटित शिकायतों की सुनवाई उनके द्वारा निर्धारित दिवसों पर उन्नाव–शुक्लागंज विकास प्राधिकरण के कार्मिकों का सहयोग प्राप्त करते हुए सप्ताह में 03 दिन 6, जे सी बोस मार्ग, लालबाग, लखनऊ स्थित उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के कार्यालय में की जायेगी।

5. शिकायतों के निस्तारण के सम्बन्ध में मानक प्रकिया (SOP) पत्र संख्या–135/रेरा/शिकायत/2017–18 दिनांक 31.10.2017 के माध्यम से जारी की गयी है। सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रति संलग्न है।

6. सभी सम्बन्धित अधिकारीगण रेरा (R.E.R.A.) द्वारा उनको प्रेषित शिकायतों का नियमानुसार निस्तारण निर्धारित समयावधि में करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

(मुकुल सिंहल)
अध्यक्ष रेरा/अपर मुख्य सचिव

<u>पत्रांक एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपिः निम्नलिखित सूचनार्थ।

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यमुना एक्सप्रेस–वे अथारिटी।
2. आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद।
3. अपर आवास आयुक्त (श्री महेन्द्र कुमार) उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश।
7. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण।

(मुकुल सिंहल)
अध्यक्ष रेरा/अपर मुख्य सचिव

Sachiv/rera

भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश

आवास बन्धु, प्रथम तल, जनपथ मार्केट, हजरतगंज, लखनऊ

संख्या 124/यू.पी.रेरा/2017–18 दिनांक 27 अक्टूबर, 2017

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **मुख्य कार्यपालक अधिकारी,**
नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यमुना एक्सप्रेस–वे,
गौतम बुद्ध नगर।

3. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

By Email.
28/10/17

विषयः भू–सम्पदा की चालू परियोजनाओं का रेरा में पंजीयन कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भू–सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–3 में निहित व्यवस्था के अनुसार प्रमोटर्स द्वारा आनगोईंग परियोजनाओं का पंजीयन अधिनियम के प्रारम्भ होने की तिथि से तीन माह के अन्दर कराया जाएगा। परियोजनाओं, प्रवर्तकों तथा एजेन्ट्स के पंजीयन की आनलाईन व्यवस्था दिनांक 26.07.20017 को लागू की गयी थी। तद्पोरान्त प्राधिकरण के कार्यालय ज्ञाप संख्या 13/यू.पी.–रेरा/2017–18 दिनांक 28.09.2017 (प्रति संलग्न) द्वारा यू.पी. रेरा के समक्ष चालू परियोजनाओं के पंजीकरण हेतु निम्नानुसार शास्ति लगाने का निर्णय लिया गयाः–

1.	दिनांक 16.08.2017 से 31.10.2017 तक	रू. 1000/–
2.	दिनांक 01.11.2017 से 30.11.2017 तक	भू–सम्पदा परियोजना की लागत का 5 प्रतिशत
3.	दिनांक 01.12.2017 से 31.12.2017 तक	भू–सम्पदा परियोजना की लागत का 10 प्रतिशत

विभिन्न स्रोतों से प्राधिकरण के संज्ञान में आया है कि बहुत से प्रमोटर्स द्वारा अपनी आनगोईंग परियोजनाओं का पंजीकरण अभी तक यू.पी. रेरा के समक्ष नहीं कराया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रमोटर्स द्वारा दिनांक 31.10.2017 तक ही आनगोईंग परियोजनाओं का पंजीयन रू. 1000/– के अर्थदण्ड के साथ कराया जा सकता है। उसके पश्चात दिनांक 01.11.2017 से भू–सम्पदा परियोजना की लागत का 5% तथा 01.12.2017 से 31.12.2017 तक भू–सम्पदा परियोजना की लागत का 10% शास्ति जमा कराने के पश्चात ही परियोजना का पंजीकरण कराया जा सकेगा।

Sachiv/rera

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मुझे आपसे यह अनुरोध करने के निर्देश हुए हैं कि कृपया अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सभी प्रमोटर्स को समस्त आनगोईंग परियोजनाओं का पंजीकरण दिनांक 31.10.2017 तक कराने हेतु अपने स्तर से सूचित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अबरार अहमद)
सचिव रेरा

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. प्रमुख सचिव, आवास/अध्यक्ष रेरा उ.प्र.।
2. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ.प्र. शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र.।

(अबरार अहमद)
सचिव रेरा

Sachiv/rera